

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, बगहा/बेनीपुर/रोसड़ा/झंझारपुर/दानापुर/मसौढ़ी/
नवगछिया/हिलसा/बक्सर/बाढ़/दाउदनगर/पटना सिटी/
शेरघाटी/विक्रमगंज/दलसिंहसराय/वीरपुर/उदाकिशुनगंज।

पटना, दिनांक ०३-५- 2016

विषय:— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सी०आर०डब्लू०जे०सी० संख्या 308/96 में दिनांक 24.09.98 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के उपकाराओं के कैदियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूरे वर्ष हेतु मजदूरी मद में ₹31,90,000 (एकतीस लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

(विपत्र कोड-एन० 2056001010003)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-18/2016-423/वि० दिनांक 31.03.2016 एवं पत्रांक 2561/वि(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूरे वर्ष के व्यय हेतु प्रत्येक उपकारा के सामने अंकित राशि का आवंटन मजदूरी मद में स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०	काराओं का नाम	वर्तमान आवंटन	शब्दों में
1	उपकारा बगहा	352000	तीन लाख बावन हजार रुपये मात्र।
2	उपकारा बेनीपुर	118000	एक लाख अठारह हजार रुपये मात्र।
3	उपकारा रोसड़ा	180000	एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र।
4	उपकारा झंझारपुर	159000	एक लाख उनसठ हजार रुपये मात्र।
5	उपकारा नवगछिया	222000	दो लाख बाईस हजार रुपये मात्र।
6	उपकारा हिलसा	408000	चार लाख आठ हजार रुपये मात्र।
7	उपकारा बक्सर	9000	नौ हजार रुपये मात्र।
8	उपकारा बाढ़	404000	चार लाख चार हजार रुपये मात्र।
9	उपकारा दाउदनगर	157000	एक लाख सनतावन हजार रुपये मात्र।
10	उपकारा शेरघाटी	265000	दो लाख पैसठ हजार रुपये मात्र।
11	उपकारा विक्रमगंज	103000	एक लाख तीन हजार रुपये मात्र।
12	उपकारा उदाकिशुनगंज	179000	एक लाख उनासी हजार रुपये मात्र।
13	उपकारा दलसिंहसराय	60000	साठ हजार रुपये मात्र।
14	उपकारा दानापुर	212000	दो लाख बारह हजार रुपये मात्र।
15	उपकारा मसौढ़ी	150000	एक लाख पचास हजार रुपये मात्र।
16	उपकारा पटना सिटी	113000	एक लाख तेरह हजार रुपये मात्र।
17	उपकारा वीरपुर	99000	निन्यानवे हजार रुपये मात्र
	कुल योग	3190000	एकतीस लाख नब्बे हजार रुपये मात्र

2. इस आवंटन के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय में गृह विभाग का संकल्प ज्ञाप-डी०पी०एस०(बंदी परि०)-03-0-01/10-4675 दिनांक-16.10.12 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. यह व्यय मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उप शीर्ष-0003-उप जेल, विपत्र कोड-N 2056001010003 के मजदूरी इकाई के अन्तर्गत होगा। राशि निकासी हेतु कूट सं0 02 01, मांग सं0 एवं विपत्र कोड अवश्य अंकित किया जाय।

4. आवंटित राशि से अधिक का व्यय एवं इस राशि का दूसरे मद में विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप0)-03-03/16-15

पटना, दिनांक 03-4-2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप0)-03-03/16-15

पटना, दिनांक 03-4-2016

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप0)-03-03/16-15

पटना, दिनांक 03-4-2016

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

247
03/4/16